भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2391

दिनांक 13 फरवरी, 2026 को उत्तर के लिए

कल्याण योजनाओं के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों का संरक्षण

2391. श्री राजमोहन उन्नीथन:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महिला और बाल कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन में खामियों के कारण केरल में, विशेषकर कासरगोड जैसे सीमावर्ती और तटीय जिलों में, कमजोर परिवार प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहे हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ क्षेत्रों में पोषण संबंधी सहायता, शिशु देखभाल सेवाएं और मातृ स्वास्थ्य संबंधी पहुँच अपर्याप्त बनी हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आईसीडीएस, पोषण अभियान और संबंधित योजनाओं के कार्य-निष्पादन की जिला-वार समीक्षा की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पिछड़े और उच्च जोखिम वाले जिलों के लिए कोई विशेष उपाय प्रस्तावित किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) महिला और बाल कल्याण कार्यक्रमों के संबंध में प्रदायगी, निगरानी और समावेशन को मजबूत करने के लिए उठाए जा रहे/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ङ): केरल सहित देश भर में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) द्वारा महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं, जिनमें पोषण सहायता, क्रेच सेवाएं और मातृ स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम शामिल हैं, इन्हें तीन व्यापक मिशनों अर्थात्: (1) पोषण एवं स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार के लिए 'मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0' (2) महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण के लिए 'मिशन शक्ति' और (3) विषम परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के संरक्षण, देखरेख और कल्याण के लिए 'मिशन वात्सल्य', में समेकित किया गया है। व्यापक मिशनों का विवरण इस प्रकार है:

(i) सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0): इस मिशन के तहत, आंगनवाड़ी सेवा योजना, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए योजना को 3 प्राथमिक उप-वर्टीकलों में पुनर्गठित किया गया है: (i) बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों के लिए पोषण सहायता (ii) प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा और (iii) उन्नत सक्षम आंगनवाड़ियों सहित आंगनवाड़ी बुनियादी अवसंरचना।

(ii) मिशन शक्ति: इसमें महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए क्रमशः दो वर्टीकल **'संबल'** और '**सामर्थ्य**' शामिल हैं।

I. संबल - संबल वर्टीकल के तहत निम्नलिखित योजनाओं को शामिल किया गया है: **वन स्टॉप सेंटर (ओएससी)** का उद्देश्य निजी एवं सार्वजनिक दोनों स्थानों पर हिंसा से प्रभावित और संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही स्थान पर समेकित और समन्वित तरीके से एकीकृत सहायता और सहयोग प्रदान करना है; **महिला हेल्पलाइन (181-डब्ल्यूएचएल)** एक 24 x 7 x 365 टोल-फ्री आपातकालीन/गैर-आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली है जो ईआरएसएस (112) और अन्य मौजूदा हेल्पलाइन/संस्थानों के साथ एकीकृत है; **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी**) - जन्म के समय घटते लिंग अनुपात (एसआरबी) और जीवन चक्र निरंतरता में बालिकाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों के समाधान के उद्देश्य से शुरू की गई; **नारी अदालत** - न्याय सुनिश्चित करके महिलाओं को सशक्त बनाने और वैकल्पिक विवाद समाधान, शिकायत निवारण, परामर्श, साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने, दबाव समूह (प्रेशर ग्रुप) रणनीति, बातचीत, मध्यस्थता और सुलह जैसी सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से एक प्रायोगिक (पायलट) पहल है।

II. सामर्थ्य - 'सामर्थ्य' वर्टीकल के तहत निम्नलिखित योजनाओं को शामिल किया गया है: **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)** - एक केंद्र प्रायोजित मातृत्व लाभ योजना है जिसके तहत लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड में पहले बच्चे और दूसरा बच्चा बालिका होने पर नकद प्रोत्साहन मिलता है; **शक्ति सदन** - दुर्व्यापार की शिकार महिलाओं सहित संकट ग्रस्त महिलाओं के लिए एक एकीकृत राहत और पुनर्वास गृह है; **सखी निवास** - शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों जहां महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं; में कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान पर स्थित आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए; **राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण केंद्र (एनएचईडब्ल्यू)** - राष्ट्रीय स्तर, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर और जिला स्तर पर महिलाओं के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर-क्षेत्रीय समन्वय की सुविधा के लिए और **पालना -** जिसका उद्देश्य बच्चों के लिए सुरक्षित और संरक्षित वातावरण में गुणवत्तापूर्ण क्रेच सुविधा प्रदान करके अर्थव्यवस्था के कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है।

(iii) मिशन वात्सल्य: मिशन वात्सल्य में मिशन मोड में बेहतर पहुंच और देखरेख की आवश्यकता वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) शामिल की गई है, जिसका उद्देश्य है: (i) कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों की सहायता करना और उनका भरण-पोषण करना (ii) विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों के समग्र विकास के लिए संदर्भ आधारित समाधान तैयार करना। (iii) नवीन समाधानों को प्रोत्साहित करने के अवसर उपलब्ध कराना (iv) साझा प्रयासों को मजबूत करना।

नीति आयोग ने वित्तीय वर्ष 2019 से 2024 तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजनाओं का तृतीय-पक्ष मूल्यांकन कराया है। अध्ययन में पाया गया कि मंत्रालय की योजनाएँ प्रासंगिक हैं।

निधि के उपयोग सहित योजनाओं के कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा विभिन्न उच्च स्तरीय बैठकों, वीडियो कॉन्फ्रेंस और फील्ड विजिट के माध्यम से की जाती है।
